



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, मेडिकल कॉलेज रोड़, रायपुर
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2552233

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र०/भू-प्रबंध/विविध/115-599/1948

रायपुर, दिनांक 08/08/2016

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
कांकेर वृत्त, कांकेर
छत्तीसगढ़

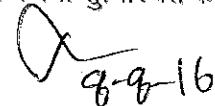
- विषय:- नवगठित जिला कोंडागांव में हेलीपेड निर्माण हेतु कक्ष क्रमांक पी. 773 में से 5.000 हे. वन भूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव के पंजीयन क्रमांक आबंटित होने के संबंध में।
- प्रस्ताव क्रमांक FP/CG/Others/8989/2014
- संदर्भ:- मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त का पत्र क्रमांक/मा.वि/1929 दिनांक 27.07.2016
= 0 =

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त द्वारा अनुशंसा उपरांत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। नोडल अधिकारी FC Act कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव में निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं:-

1. वैकल्पिक वृक्षारोपण की आवश्यकता नहीं है किन्तु .kml file एवं नक्शे अपलोड किये गये हैं इसका क्या औचित्य है।
2. प्रत्याशा मूल्य की राशि निर्धारित प्रपत्र में गणना कर प्रेषित करें।
3. कलेक्टर का वन अधिकार प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में मूलप्रति मय ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव एवं उप खण्ड स्तरीय समिति के सत्यापित कार्यवाही विवरण सहित प्रेषित करें।
प्रस्ताव ई.डी.एस किया गया है।

उपरोक्तानुसार बिन्दुवार कमियों की पूर्ति कर अतिरिक्त जानकारी प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- प्रस्ताव 3 प्रतियों में मूलतः



(वन संरक्षक)

वास्ते अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

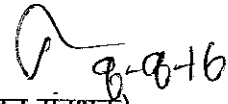
पृ. क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-599/1949

रायपुर, दिनांक 08/08/2016

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. वनमंडलाधिकारी, दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल, कोण्डागांव, छत्तीसगढ़।
2. पुलिस अधीक्षक, जिला - कोण्डागांव, छत्तीसगढ़

वर्तमान में किसी भी प्रकार के वन भूमि में कार्य प्रारंभ करने की अनुमति नहीं है।



(वन संरक्षक)

वास्ते अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / वं. स. अ)
छत्तीसगढ़